न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : डॉ0 मधु खरे
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2962–तीन/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 05–02–2013 पारित द्वारा न्यायालय तहसीलदार, तहसील त्योंथर, वृत्त गढ़ी, जिला–रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 7/ए–3/ 2012–13

....

1– कन्हैयालाल सिंह चौहान तनय श्री रामगहन सिंह चौहान
2– श्रीमती कुसुम देवी पत्नी श्री कन्हैयालाल सिंह चौहान
दोनों निवासी–ग्राम बघोल, पोस्ट हरिहपुर, थाना खीरी
जिला–इलाहाबाद (उ0प्र0) हाल निवासी ग्राम घुसरूम,
थाना जनेह, तहसील त्योंथर, जिला–रीवा (म0प्र0)

.... आवेदकगण

विरूद्ध

1– छोटेलाल सिंह तनय श्री चन्द्रभान सिंह
2– गुलाब सिंह तनय श्री छोटेलाल सिंह
दोनों निवासी–ग्राम परसिया, तहसील त्योंथर
जिला–रीवा (म0प्र0)

.... अनावेदकगण

....
श्री मंगलेश्वर सिंह, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री राजेन्द्र सिंह, अभिभाषक, अनावेदकगण
....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 23/7/2015 को पारित)

यह निगरानी, आवेदक द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, तहसील त्योंथर,

वृत्त गढ़ी, जिला–रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 05–02–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक क्र. 1 छोटेलाल सिंह द्वारा ग्राम घुसरूम के आराजी नं0 9/11 रकबा 5.705 है0 के नक्शा के तरमीम हेतु न्यायालय तहसीलदार, के यहाँ आवेदन पेश किया गया। तहसील न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर आवश्यक आदेश दिनांक 5–2–2013 के द्वारा नक्शा तरमीम के आदेश पारित किया। तहसीलार के उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि ग्राम घुसरूम की भूमि आराजी नं0 9/12, 9/15 एवं 9/16 के भूमिस्वामी आवेदकगण हैं जिसपर विधिवत काबिज दाखिल होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने संबंधित भूमियों के क्षेत्रफल का निर्धारण व सीमाओं की माप नहीं की गई मात्र खसरे में दर्ज रकवा को प्रस्तावित नक्शे में दर्ज कर दिया जबकि पटवारी व राजस्व निरीक्षक ने मौके की स्थिति व भौतिक आधिपत्य के अनुसार नहीं की गई है। यह भी तर्क दिया कि आवेदकगण की भूमियों की सीमा का सरहदी काश्तकार है उसे बिना सूचना दिये और उसकी अनुपस्थिति में राजस्व निरीक्षक व संबंधित पटवारी ने फर्जी पंचनामा व प्रस्तावित नजरी नक्शा तैयार कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसकी पुष्टि तहसीलदार ने आदेश दिनांक 5–2–2013 से की गई है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार की जाये एवं तहसीलदार का आदेश निरस्त किया जाये।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि ग्राम घुसरूम स्थित भूमि सर्वे कमांक 9/11 रकबा 5.705 हे0 भूमि अनावेदकगण के स्वत्व की भूमि है। मूल सर्वे कमांक 9 के कई बटांकन नम्बरों में बटवारा अनुसार विभाजन हो जाने से बटा नम्बरों को नक्शा प्रदर्शित नहीं किये जाने के

कारण अनावेदकगण ने नक्शा तरमीम हेतु आवेदन तहसीलन्यायालय में प्रस्तुत किया था, जिस पर विधिवत पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक प्रतिवेदन एवं पंचनामा, नजरी नक्शा तैयार किया जिसकी पुष्टि तहसीलदार द्वारा किये जाने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की है। यदि आवेदकगण को किसी प्रकार की कोई आपत्ति थी तो वह तहसील न्यायालय में आपत्ति प्रस्तुत कर सकते थे परन्तु किसी प्रकार की आपत्ति तहसील न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गई थी। अतः निगरानी निरस्त की जाये।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया। अनावेदक छोटेलाल सिंह तथा गुलाब सिंह द्वारा ग्राम घुसरूम की आराजी क्रमांक 9/11 का नक्शा तरमीम हेतु आवेदन म0प्र0भू0रा0 संहिता की धारा 115, 116, 107 के अन्तर्गत तहसीलदार त्योंथर वृत्त गढ़ी को प्रस्तुत किया । तहसीलदार ने पटवारी हलका से तरमीम प्रस्ताव मंगाया तथा पटवारी हलका द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन, पंचनामा, नजरी नक्शा स्वीकार कर पटवारी हलका को अभिलेख दुरूस्त करने का आदेश दिनांक 5/2/2013 को दिया तथा प्रकरण समाप्त कर नस्तीबद्ध किया । तहसीलदार द्वारा किया गया आदेश अन्तिम स्वरूप का है जिसके विरूद्ध अपील की जा सकती है । अतः उसकी निगरानी ग्राह्य कर उस पर आदेश किया जाना उचित नहीं होगा । आवेदक यदि चाहे तो सक्षम न्यायालय में अपील कर सकता है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है ।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर